[Shri Manubhai Shah]

(3) S.R.O. No. 2123-IDRA/18A/1/57 dated the 29th June, 1957.

(4) S.R.O. No. 2124-IDRA/18A/2/57 dated the 29th June, 1957.

(5) S.R.O. No. 2862-A-IDRA/18A/3/57 dated the 10th September, 1957.

(6) S.R.O. No. 2862-B-IDRA/18A/4/57 dated the 10th September, 1957.

(7) S.R.O. No. 3019-IDRA/18A/5/57 dated the 18th September, 1957.

(8) S.R.O. No 3320-IDRA|18A|6|57 dated the 18th September, 1957.

(9) S R O No. 3382-IDRA/15/1/57 dated the 17th October, 1957.

[*Placed in Library. See* No LT-430/57]

NOTIFICATION ISSUED UNDER EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ACT, 1952

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Funds Act, 1952, a copy of Notification No S R O 3565 dated the 9th November, 1957, making certain further amendment to the Employees' Provident Funds Scheme, 1952

[*Placed in Library See* LT 428/57]

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
FIFTEENTH REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to present the Fifteenth Report of the Business Advisory Committee.

PREVENTIVE DETENTION (CONTINUANCE) BILL

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Preventive Detention (Continuance) Bill, 1957. Out of 7 hours agreed to by the House, for discussion, 4 hours and 56 minutes have already been availed of, and 2 hours and 4 minutes now remain. After the general discussion is over, clause-by-clause consideration and the third reading of the Bill will be taken for which one hour each has been allotted. Shri Braj Raj Singh will continue his speech.

श्री ब्रजराज सिंह (फीरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक ही समस्या के लिए भारत के दो विभिन्न प्रान्तों में पुलिस किस प्रकार अलग अलग साधन ढूंढती है । चम्बल के उत्तर में ताजीरात हिन्द की दफा २१६ के नोटिस देकर लोगों को डाकुओं को प्रश्रय देने के लिए सजायें की जाती हैं और चम्बल के दक्षिण में उसी अपराध के लिए लोगों को नजरबन्दी कानून के अन्दर बन्द किया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग डाकुओं को पनाह देते हैं उनको नजरबन्दी कानून में एक साल के थोड़े से समय के लिए बन्द करके इतनी सादी सजा क्यों दी जाती है । जब ताजीरात हिन्द की धारा २१६ मौजूद है और एक राज्य सरकार उसके अन्तर्गत काम कर रही है और सैकड़ों आदमियों को बन्द करके सजायें दे रही है तो क्यों नहीं सारे भारत में डाकुओं को प्रश्रय देने वालों को इसी धारा के अधीन बन्द किया जाता और इस तरह से उनको सिर्फ एक साल के लिए आसानी से क्या बन्द किया जाता है ।

आपकी पुलिस सीधे और सस्ते मार्ग को अपनाना चाहती है । जब उसे कोई सीधा और सस्ता मार्ग मिल जाता है तो वह सबूत आदि देकर सजा कराने की तकलीफ नहीं उठाना चाहती । और जब आपकी पुलिस आपसे कहती है कि नजरबन्दी कानून की जरूरत है तो आप भी आसानी से उस कानून की मियाद को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कानून का सब से ज्यादा अमल कौन करता है । क्या